रजिस्ट्री सं डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 612] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 1993/आश्विन 19, 1915
No. 612] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1993/ASVINA 19, 1915

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1993

का.आ. 775(अ):—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्-द्वारा भारत सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं का.नि 578 (अ), दिनांक 2 जून, 1992, जो भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3 उप-खंड (i) में दिनांक 2-6-1992 को प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत —

उक्त अधिसूचना की उद्देशिका में 'शिशाखापत्तनम पत्तन पायलेटेज और अन्य सेवाएं (शुल्क) आदेश, 1988 से संबंधित समय-समय पर जारी की गई सभी पूर्व अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में" शब्दों और अंकों को "भारत

सरकार, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 333(अ), दिनांक 13 मार्च, 1992 के अधिक्रमण में, लेकिन इस अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा नहीं किए गए कार्यों को छोड़कर", शब्दों, कोष्ठकों और अंकों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. उक्त अधिसूचना के पैरा-1 के उप पैरा-1 में "उसको" शब्दों को "अन्य" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. पी आर-16014/3/93-पी जी]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Parts Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 1993

S.O. 775(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 35 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), the Central Government hereby makes the following amendments in the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport number G.S.R. 578(E), dated the 2nd June, 1992, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 2nd June, 1992, namely :—

1. In the Preamble to the said Notification for the words, brackets and figures "in supersession of all the previous notifications relating to the Visakhapatnam Port Pilotage and other services (Fees) Order, 1988, issued from time to time", the words, brackets and figures "in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport, number G.S.R. 333(E), dated the 13th March, 1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession", shall be substituted.

2. In paragraph 1 of the said Notification in sub-paragraph 1, for the words "to her", the word "other" shall be substituted.

[File No. PR-16014/3/93-PG]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi 110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993